न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/366

मुकदमा नम्बर 105/2025 दर्ज दिनांक– 01.07.2025

बनवारी पुत्र तुलसा जाति माली निवासी ज्योति नगर ,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक :– स्वंय द्वारा प्रस्तुत

वकील अनावेदक :-- पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 01.07.2025

प्रार्थी द्वारा स्वंय उपस्थित हो एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम ज्योति नगर पटवार हल्का ढाणियां नवलगढ की सरहद में स्थित नया खाता सं. 32 पुराना 142 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 130 रकबा 0.18 है, खसरा नं. 131 रकबा 0.43 है0 के राजस्व रिकार्ड में जीवणी पत्नी मूलचन्द हिस्सा 1/4 व दीपचन्द पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/4 जाति माली तथा बनवारी पुत्र तुलसा का हिस्सा 1/2 दर्ज कर दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रा. पत्र के साथ तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट पेश है। जिसके अनुसार खसरा नं. 130,131 मे बनवारी पुत्र तुलसा जाति माली का नाम दर्ज नही है जबकि पुरानी जमाबन्दी संवत् 2063–2067 की राजस्व ग्राम काना का वाली ढाणी में मूलचन्द, बनवारी पिता तुलसा जाति माली के नाम दर्ज था जो नई जमाबन्दी ज्योति नगर में बनवारी पुत्र तुलसा का हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाना उचित है। इसलिये ग्राम ज्योति नगर के खसरा नं. 130,131 के राजस्व रिकार्ड मे जीवणी पत्नी मूलचन्द हिस्सा 1/4 व दीपचन्द पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/4 जाति माली बनवारी पुत्र तुलसा हिस्सा 1/2 जाति माली शुद्वी किया जाना प्रस्तावित है।

तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय त्रुटी होना जाहिर है। जिसके लिये खातेदार अपने राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ज्योति नगर पटवार हल्का ढाणियां नवलगढ की सरहद में स्थित नया खाता सं. 32 पुराना 142 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 130 रकबा 0.18 है, खसरा नं. 131 रकबा 0.43 है0 के राजस्व रिकार्ड में जीवणी पत्नी मूलचन्द हिस्सा 1/4 व दीपचन्द पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/4 जाति माली तथा बनवारी पुत्र तुलसा का हिस्सा 1/2 दर्ज कर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू